बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................../पटना, दिनांक..

03/नि0 किसान संवाद–14/05/2024–RCS भाग–2

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, (ले॰ एवं हक॰),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **किसान सहकारी चौपाल कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना से रू0 85,82,558/– (पचासी लाख बेरासी हजार पाँच सौ अनठावन) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत**

राज्य योजना अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी राज्य के किसानों/पैक्स सदस्यों को देने एवं किसानों के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसके समाधान हेतु राज्य के सभी पैक्सों में किसान सहकारी चौपाल कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 354 दिनांक 03.12.2024 द्वारा कुल 9,66,26,368/– (नौ करोड़ छियासठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ अड़सठ) मात्र के निकासी की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृत राशि के आलोक में CFMS-2 में तकनीकी कठिनाई के कारण रू0 85,82,558/– (पचासी लाख बेरासी हजार पाँच सौ अनठावन) मात्र की निकासी नहीं की जा सकी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना से संलग्न सूची के अनुसार रू0 85,82,558/– (पचासी लाख बेरासी हजार पाँच सौ अनठावन) मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप आवंटन संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को दिया जायेगा जो इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को प्राप्त उप आवंटन के आलोक में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव के आधार पर किसान सहकारी चौपाल में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 का बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य स्कीम के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 105 सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष 0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, मांग संख्या–09, विपत्र कोड– 09–2425001050101, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	20,00,00,000/–	85,82,558/–

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना होंगे। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा योजना प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन सचिव, सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. इस राशि का अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

8. विपत्र भुगतान के पूर्व नियमानुसार अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–03/नि0 किसान संवाद–14/05/2024–RCS भाग–2 के पृष्ठ 13/टि0 पर दिनांक 06.06.2025 को दी गई है।

11. योजना प्रस्ताव पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 03/नि0 किसान संवाद–14/05/2024–RCS भाग–2 के पृष्ठ 13/टि0 पर प्राप्त है।

ह०/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 147 /पटना, दिनांक 09/06/2025
03/नि0 किसान संवाद–14/05/2024–RCS भाग–2

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/ अवर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी बजट प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

09/06/2025

09.06.25
सरकार के अपर सचिव।